File No.SVPNPA-ESST0A-5(E568)/1/2018-O/o AD(ESTT.)

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad– 500 052.

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Radio Technician -Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Radio Technician is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No. 19011/ 1/2009/Estt/RRs / Radio Technician/A-5 Dated 11th May, 2018

Signature valid

Digitally signed by K
MADHUKAR SHETTY
Date: 2018.05.11 1?:26:44 IST
Reason: Approved

Radio Technician

					(In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation from any Board or Industrial Training Institute diploma from any recognised Institute or equivalent.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Chairman 2. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Member 3. Administrative Officer Grade-II and III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/17/2012-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के रेडियो टेक्नीशियन भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में रेडियो टेक्नीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (रेडियो टेक्नीशियन) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती को पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु–सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रेडियो टेक्नीशियन	01*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 5 (रु. 29200–92300)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी : 1. जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है ; 2. जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 5 में (रू. 29200–92300/–) या समकक्ष, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।

			वांछनीय : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिकी और संसूचना इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। 2. कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति कि अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कि अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा सं. 23011/40/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2018

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Radio Technician Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radio Technician in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (i) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Radio Technician) Recruitment Rules, 2018.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix –**The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Radio Technician	01* (2018) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 5 (Rs. 29,200-92,300)	Not Applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a departmental confirmation committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers of the Central Armed Police Forces or Central Government or State Government: (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) or equivalent, in the parent cadre or department. **Desirable :** (i) Diploma in Electronics and Communication Engineering from a recognised University or from any Government Institute; and (ii) working knowledge of computers. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government	Not applicable	Not applicable.

shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/40/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2018 है।

   (ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   पूर्वोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	06* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 4	लागू नहीं होता।